न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/40/2021

01. हीरालाल पुत्र भानाराम उम्र 70 साल
02. अन्नाराम पुत्र पीथाराम उम्र 66 साल
03. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम उम्र 47 साल
04. जड़ाव देवी पत्नी लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम उम्र 70 साल
05. हरीराम पुत्र लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम उम्र 38 साल.
06. सुभाष चन्द पुत्र लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणराम उम्र 44 साल
07. रामेश्वर पुत्र पीथाराम उम्र 83 साल
08. गणपत पुत्र पीथाराम उम्र 63 साल

समस्त जाति यादव (अहीर) निवासीगण ग्राम कुण्डलपुर तहसील धोद जिला सीकर (राज.)

–वादीगण

ब ना म

तहसीलदार (भूमिधारी), धोद तहसील धोद जिला सीकर

–प्रतिवादी

<u>दावा बाबत उदघोषणा, बंटवारा एवं दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए, 1955 व 136 एल आर एक्ट, 1956</u>

उपखण्ड अधिकारी धोद सीकर (राज.)

–:निर्णय:–

दिनांक– 07.02.2022

01. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि यह कि वाके ग्राम कुण्डलपुर पटवार हल्का बिडोली भू.अभि.नि. क्षैत्र माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर (राज0) में कृषि भूमि खसरा नम्बर 546 रकबा 5.07 हैक्टैयर तथा खसरा नम्बर 547 रकबा 6.2800 हैक्टैयर अवस्थित है। उक्त भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से वादीगण का कब्जा, काश्त यथावत चला आ रहा है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 546 के पुराने खसरा नम्बर 172/2 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा तथा भूमि खसरा नम्बर 547 के पुराने खसरा नम्बर 172/1 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा थे। परन्तु मौके पर जिस प्रकार से राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 172/1 व 172/2 जिनमें से खसरा नम्बर 172/2 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा वादी संख्या–2 लगायत 8 के पूर्वजो के नाम तथा खसरा नम्बर 172/1 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा वादी संख्या–1 के पूर्वजो के नाम कायम किये जाकर दर्ज कर दिया गया था। उक्त खसरा नम्बर 172/1 व 172/2 की खातेदारी वादीगण के कब्जे काश्त के अनुरूप न होकर उनके कब्जे काश्त के विपरीत थे। जबकि मौके पर कब्जा काश्त खसरा नम्बर 172/2 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा पर वादी संख्या–1 का कब्जा काश्त था, जो अनवरत रूप से चला आ रहा है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 172/1 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा पर वादी संख्या–2 लगायत 8 के पूर्वजों का था उनके बाद वादी संख्या–2 लगायत 8 का कब्जा काश्त था जो अनवरत रूप से चला आ रहा है, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 547 रकबा 6.28 हैक्टैयर है। वादीगण के कब्जे काश्त में आज तक कोई विवाद नहीं रहा है। वादीगण की भूमि का राजस्व रिकार्ड संधारण के समय खसरा नम्बर 172 कायम किये गये थे परन्तु उक्त खसरा नम्बर 172 का राजस्व नक्शा तो तत्समय राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा तैयार कर दिया गया परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी तत्समय खसरा नम्बर 172/1 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा खातेदार भाना वल्द नाराणा कौम अहीर व बालू वल्द बेगा कौम अहीर के नाम दर्ज कर दी गई तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 172/2 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा खातेदार पीथा वल्द जोधा कौम अहीर के नाम दर्ज कर दी गई परन्तु उक्त खसरा

45

उपखण्ड अधिकारी

21169

नम्बर 172/1 व 172/2 की तरमीम राजस्व नक्शा में उस समय दर्ज नहीं हो पाई थी. इस कारण भी वादीगण को उक्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदियां व राजस्व नक्शा की सही जानकारी नहीं हो पाई थी तथा उसके बाद भू-प्रबन्ध की कार्यवाहियों के दौरान भी मौका की स्थिति की सही जांच किये बिना ही खसरा नम्बर 172/1 के नये खसरा नम्बर 546 व खसरा नम्बर 172/2 के नये खसरा नम्बर 547 कायम कर दिये गये। जो वादीगण के कब्जे काश्त, खातेदारी के विपरीत होने के कारण दुरूस्त किये जाने योग्य हैं ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड वादीगण के कब्जे काश्त के अनुरूप दुरुस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। वादीगण में से वादी संख्या-1 के नाम पुराने खसरा नम्बर 172/1 के स्थान पर उक्त खसरा नम्बर 172/2 व नया खसरा नम्बर 546 की खातेदारी तथा वादी संख्या-2 लगायत 8 के नाम पुराने खसरा नम्बर 172/2 के स्थान पर 172/1 के आधार पर बिना किसी आधार के भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान बनाये गये नये खसरा नम्बर 547 की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी संख्या-1 को भूमि खसरा नम्बर 546 रकबा 5.0700 हैक्टैयर व वादी संख्या-2 लगायत 8 को भूमि खसरा नम्बर 547 रकबा 6.2800 हैक्टैयर का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत है। दिनांक 30/07/2021 को भूमियों की स्थिति पता लगने पर वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ इस प्रकार वादीगण को वादकारण लगातार उत्पन्न होने पर हस्तगत वाद-पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी संख्या-1 हीरालाल के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 546 रकबा 5.0700 हैक्टैयर में आवागमन हेतु मौके पर वादी संख्या-2 ता 8 की पूर्ण स्वीकृति व सहमति से 15 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 547 रकबा 6.2800 हैक्टैयर की दक्षिणी सीमा से शुरू होकर खसरा नम्बर 546 की दक्षिणी सीमा तक मौजूद व चालू है तथा मौके पर वादी संख्या-1 का आवागमन इसी रास्ते से हो रहा है। उक्त रास्ते की भौतिक स्थिति मौके पर खसरा नम्बर 547 की दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे पूरब-पश्चिम लम्बाई 663 फीट छोडकर तथा उत्तरी भुजा के सहारे सहारे पूरब-पश्चिम लम्बाई 627 फीट छोडकर 15 फीट का रास्ता कायम किया हुआ है जो भविष्य में पक्षकारों के बीच विवाद ना हो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर उक्त रास्ते का अलग खसरा कायम कर उसे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना उचित व न्यायसंगत है। जिसमें वादीगण को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। उक्त रास्ते को सभी वादीगण रास्ते के रूप में उपयोग कर सकेगें। प्रतिवादी के रूप में श्रीमान तहसीलदार, धोद को भूमि धारक होने से व राज्य का प्रतिनिधि होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त होने से उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि वादी संख्या-1 के नाम पुराने खसरा नम्बर 172/2 के स्थान पर पुराना खसरा नम्बर 172/1 नये खसरा नम्बर 546 रकबा 5.0700 हैक्टैयर की खातेदारी तथा वादी संख्या-2 लगायत 8 के नाम पुराने खसरा नम्बर 172/2 के स्थान पर पुराने खसरा नम्बर 172/1 के आधार पर बिना किसी आधार के भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान बनाये गये नये खसरा नम्बर 547 रकबा 6.2800 हैक्टैयर की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे तथा उक्त राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी संख्या-1 को भूमि खसरा नम्बर 546 रकबा 5.0700 हैक्टैयर व वादी संख्या-2 लगायत 8 को भूमि खसरा नम्बर 547 रकबा 6.2800 हैक्टैयर का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे इस आशय की डिक्री पारित की जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। दावा के पक्षकार संख्या-1 को भूमि खसरा नम्बर 546 रकबा 5.0700 हैक्टैयर का एवं वादी संख्या 2 लगायत 8 को भूमि खसरा नम्बर 547 का खातेदार, काश्तकार घोषित कर उसका विधिवत बंटवारा करवाया जावे। वादग्रस्त आराजी के मौके पर खसरा नम्बर 547 की दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे पूरब-पश्चिम लम्बाई 663 फीट छोडकर तथा उत्तरी भुजा के सहारे सहारे तथा पूरब-पश्चिम लम्बाई 627 फीट छोडकर 15

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

फीट का रास्ता कायम किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग खसरा कायम कर उसे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किया जावे।

02. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलबी की गई। इसी दौरान पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर बिडोली में पेश हुई। समस्त वादीगण ने शिविर स्थल पर उपस्थित होकर एक आवेदन पेश कर सहमति से प्रकरण के निस्तारण का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार, धोद से विस्तृत जांच रिपोर्ट लिया जाना उचित है। अतः रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ. /2022/186 दिनांक 13.01.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समस्त वादीगण की ओर से वकील वादीगण ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर एक आवेदन बाबत मिसल तलबी पेश कर मुताबिक तहसीलदार, धोद के प्रकरण का अंतिम निस्तारण करने का निवेदन किया।

03. समग्र पत्रावली प्रकरण का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार धोद की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में वर्णित आराजियात खसरा सं. 546 व 547 के खातेदारान में आपस में राजीनामें से प्रकरण का निस्तारण मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार चाहते है। अतः मुताबिक वकील वादीगण के तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

04. अतः वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम कुण्डलपुर पटवार हल्का बिडोली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 546 रकबा 5.07 हेक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज वर्तमान खातेदारी हजफ किया जाकर उक्त के स्थान पर वादी सं. 01 को खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा वाके ग्राम कुण्डलपुर पटवार हल्का बिडोली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 6.28 हेक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज वर्तमान खातेदारी को हजफ किया जाकर उक्त के स्थान पर वादीगण सं. 02 ता 08 को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। वाके ग्राम कुण्डलपुर पटवार हल्का बिडोली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 547 में आवागमन के संबंध में तहसीलदार धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (लाल रंग से प्रदर्शित) के अनुसार नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाकर नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, धोद से प्राप्त रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हों। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 07.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

हीरालाल आदि   बनाम   तहसीलदार, धोद

<u>दावा बाबत उदघोषणा, बंटवारा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड</u>

मुकदमा नम्बर– 40/2021   निर्णय दिनांक– 07.02.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मिथलेश कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री ताराचंद यादव, एड. मिनजानिब मुददई रूबरू........... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर वाके ग्राम कुण्डलपुर पटवार हल्का बिडोली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 546 रकबा 5.07 हेक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज वर्तमान खातेदारी हजफ किया जाकर उक्त के स्थान पर वादी सं. 01 को खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा वाके ग्राम कुण्डलपुर पटवार हल्का बिडोली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 6.28 हेक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज वर्तमान खातेदारी को हजफ किया जाकर उक्त के स्थान पर वादीगण सं. 02 ता 08 को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। वाके ग्राम कुण्डलपुर पटवार हल्का बिडोली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 547 में आवागमन के संबंध में तहसीलदार धोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (लाल रंग से प्रदर्शित) के अनुसार नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाकर नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, धोद से प्राप्त रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें।

यह आज तारीख 07.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(मिथलेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी,

धोद मु0 सीकर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	